न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आ.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री मनीष कुमार पुत्र भूताजी, जाति-घांची, निवासी-गुलाबगंज, तह. रेवदर, जिला-सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र धुडाजी, जाति-सोनी, निवासी-गुलाबगंज, तह.रेवदर, जिला-सिरोही
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर
3. सरपंच, ग्राम पंचायत, गुलाबगंज, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
4. सचिव, ग्राम पंचायत, गुलाबगंज, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

"निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

पंचायत निगरानी संख्याः 106/2017

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री कैलाश नामा, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे, अप्रार्थी संख्या-1 (महेन्द्र कुमार) की ओर से

:: निर्णय :: दिनांक 12 अप्रेल, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा अप्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार पुत्र धुडाजी, जाति-सोनी, निवासी- गुलाबगंज के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत पुराने गृह का विनियमितिकरण करते हुए क्षेत्रफल 1384.87 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 55 दिनांक 20.10.2014 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस बिनाय पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी गुलाबगंज, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही का निवासी है व ग्राम गुलाबगंज में अपने कुटुम्ब के साथ रहता है। प्रार्थी व कुटुम्ब के अन्य व्यक्तियों के मालकी पट्टेशुदा व कब्जे शुदा भूखण्ड ग्राम गुलाबगंज में आया हुआ है जो कि अप्रार्थी संख्या-1 के पडौस में है। जिस पर वे करीब 70 वर्षो से अधिक समय से शांतिपूर्वक निवास कर रहे है और अप्रार्थी संख्या-1 ता 4 की जानकारी में काबिज है। प्रार्थी के सभी कुटुम्ब के सदस्यों के अलग अलग मकानात बने हुए है। अप्रार्थी संख्या-1 जो कि प्रार्थी का पडौसी है उसे ग्राम पंचायत, गुलाबगंज ने विधि विरुद्ध तरीके से पट्टा संख्या 55 जारी किया है। ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा जारी पट्टा संख्या 55 दिनांक 20.10.2014 की चतुर्दशी उत्तर में दरवाजा व रास्ता, दक्षिण में स्वयं का मकान व गली, पूर्व में भीकाराम पुत्र भीमाजी कलबी का मकान व पश्चिम में दरवाजा व रास्ता है व क्षेत्रफल 1384.87 वर्गफीट है। प्रार्थी को ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 के उक्त मकान की भूमि का पट्टा जारी करने के संबंध में आपत्ति होने एवं कार्यवाही स्थगित किये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा ग्राम पंचायत में दिनांक 20.2.2014 को क्षेत्रफल 1384.87

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

वर्गफीट भूमि का विक्रय विलेख (पट्टा) जारी कराने हेतु आवेदन किया गया, लेकिन अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्तुत आवेदन में भूखण्ड की लम्बाई व चौडाई न दर्शाकर केवल क्षेत्रफल 1384.87 वर्गफीट अंकित किया गया है। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 को पट्टे में अंकित चतुर्दशी व नाप अनुसार पट्टा जारी करना विधि विरुद्ध है, क्योंकि उक्त पट्टे को दो भागों के नाप अनुसार जारी किया गया है। उक्त अग्र भाग पश्चिम की ओर जो पट्टा जारी होने से पूर्व 5 से 7 फीट की गली थी एवं इस गली से प्रार्थी के परिवाजन आवागमन करते थे और उक्त पट्टे के पश्चिम की ओर निगरानी में पद संख्या-1 में वर्णित नाप का पट्टा जारी गया है वहां गांव का पूर्व में चबुतरा बना हुआ था जहां पर ग्रामवासी पक्षियों के लिये दाना चुग्गा डालते थे। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत, गुलाबगंज से गलत तथ्यों के आधार पर पट्टा जारी करवाया है। वर्तमान में पट्टे जारी होने से उक्त गली केवल मात्र 3 फीट की रह गई है जिससे आवागमन भी बाधित हो गया है जो कि प्रार्थी के परिवार के आने जाने का मुख्य रास्ता है। भविष्य में अगर परिवार में किसी व्यक्ति का देहान्त हो जाने पर अन्तयेष्टि के लिये अर्थी को भी गली के बाहर लगाना पड़ सकता है व उक्त गली काफी संकरी होने से वाहन भी अन्दर नही आ सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया गया है कि पट्टा जारी करने पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 144 के अर्न्तगत आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर आवेदन शुल्क लिये जाने का प्रावधान है, लेकिन तत्कालीन सरपंच व सचिव ने नियमों के विरुद्ध जाकर आवेदन शुल्क वसूल नही की गई। ग्राम पंचायत द्वारा अपूर्ण कार्यवाही होने हुए भी अप्रार्थी संख्या-1 के नाम से भूमि विक्रय मिसल संख्या 140 दिनांक 20.2.2014 को कायम की गई जो विधि विरुद्ध है। उक्त भूमि विक्रय मिसल अनुसार बैठक दिनांक 20.2.2014 में भी प्रार्थना पत्र शुल्क 10/- रुपये, मौका निरीक्षण शुल्क 25/- रुपये, नक्शा फीस 25/- रुपये कुल 60/- रुपये प्राप्त करना अंकित किया है, लेकिन राशि वसूल नही की गई। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 के अनर्तगत तीन वार्ड पंचों की कमेटी का गठन भी विधि अनुरुप नही किया गया। ग्राम पंचायत की बैठक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 148 के अर्न्तगत एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया, लेकिन इससे पूर्व मौका कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने एवं उनकी सिफारिश के अनुसार नियम 147 के अर्न्तगत विक्रय का अस्थाई निर्णय लिया जाने का प्रावधान है, लेकिन इसकी भी पालना नही की गई है। ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा नियम 148 के अर्न्तगत आपत्ति नोटिस जारी किया गया उसमें भूमि की लम्बाई चौडाई अंकित नही की गई तथा कुल क्षेत्रफल ही अंकित किया। आपत्ति नोटिस जारी करने का क्रमांक व दिनांक भी अंकित नही की गई तथा आपत्ति नोटिस किसके समक्ष चस्पा किया गया उसका भी कोई उल्लेख नही है। पुराने कब्जे की पुष्टि में दो गवाहों के बयान लिये गये है, लेकिन उनके द्वारा भी आवेदक की भूमि/मकान कितना पुराना है व कितने क्षेत्रफल का यह नही बताया है। भूमि विक्रय मिसल में आवेदक द्वारा चाहे गये पट्टे की भूमि आबादी क्षेत्र में है अथवा नही? इस बाबत पटवारी की रिपोर्ट के प्रपत्र पर भी पटवारी के हस्ताक्षर नही है तथा न ही ग्राम पंचायत स्तर पर पटवारी से रिपोर्ट ली गई है। ग्राम पंचायत से आवेदक

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

द्वारा चाहे गये पट्टे की भूमि के नजरी नक्शें पर भी ग्रामसेवक पदेन सचिव के हस्ताक्षर नही है। उक्त भूमि विक्रय मिसल की आज्ञा सूची में बैठक दिनांक, प्रस्ताव संख्या आदि अंकित नहीं किये गये है जो विधि विरुद्ध है। ग्राम पंचायत, गुलाबगंज के तत्कालीन सरपंच व सचिव द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर को पत्र क्रमांक 2013/143 दिनांक 09.11.2013 को प्रेषित किया था जिसमें विवादित भूमि/मकान का पट्टा नही बनाने बाबत यह स्पष्ट अंकित किया था कि ''श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री धुडाजी, जाति- सोनी, निवासी-गुलाबगंज के द्वारा ग्राम पंचायत में पट्टे के लिये आवेदन किया गया, जिससे प्रशासन गांवों के संग अभियान में पट्टे की कार्यवाही चली थी परन्तु वार्ड पंचों द्वारा ऐतराज करने पर पट्टे की कार्यवाही रोक दी गई है।'' इसके बावजूद भी तत्कालीन सरपंच व सचिव, ग्राम पंचायत, गुलाबगंज ने विधि विरुद्ध जाकर पट्टा संख्या 55 जारी किया है। ग्राम पंचायत, गुलाबगंज ने उक्त गली व चबूतरे को नजर अन्दाज करते हुए नियमों के विरुद्ध पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 को पट्टा जारी करने की कार्यवाही में अप्रार्थी संख्या-1 का भूखण्ड़ पर पुराना कब्जा होने व उस पर मकान बने होने का कथन किया है, जबकि उक्त भूखण्ड़ पर कभी कोई मकान बना हुआ नही था। उक्त भूखण्ड़ के पश्चिम दिशा की ओर जो कि त्रिकोनाकार है, जहां पर चौडी गली व चबूतरा बना हुआ था इसके अलावा उक्त भूखण्ड़ पर अप्रार्थी संख्या-1 का किसी प्रकार का कब्जा नही था, फिर भी ग्राम पंचायत, गुलाबगंज ने नियमों से परे जाकर विधि विरुद्ध पट्टा संख्या 55 दिनांक 20.10.2014 को जारी किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित हुये। प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 19.7.2017 एवं 10.10.2017 को अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर व अप्रार्थी संख्या-4 उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-3 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहे। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी महेन्द्र कुमार पुत्र धुडाजी, जाति- सोनी, निवासी- गुलाबगंज के अधिवक्ता ने लिखित प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि प्रार्थी मनीष कुमार की एक शिकायत (राजस्थान सम्पर्क पोर्टल शिकायत संख्या 0415294404710) प्रस्तुत की थी जिसकी जांच के बाद पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय, सिरोही में पंचायत निगरानी संख्या 65/2015 दर्ज करवाई उसमें बाद सुनवाई दिनांक 09.9.2016 को निर्णय होकर निगरानी खारिज हुई है। प्रार्थी की शिकायत पर एक बार सक्षम न्यायालय के द्वारा निर्णय होने के बाद दूसरी बार कार्यवाही नही हो सकती है व प्रार्थी पूर्व न्याय के सिद्धान्त से बाधित है। उक्त निर्णय को निरस्त कराये बिना एवं उचित कार्यवाही कर पुनः सुनवाई का आदेश हुये बिना निगरानी पेश नही हो सकती है व न ही सुनवाई हो सकती है,

.....पेज चार पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

इसलिये प्रारम्भिक आपत्ति पर ही निगरानी खारिज की जावे। अप्रार्थी संख्या-1 महेन्द्र कुमार की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रारम्भिक आपत्ति का प्रार्थी के वकील द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया।

(3) प्रकरण में अप्रार्थी महेन्द्र कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अप्रार्थी महेन्द्र कुमार के अधिवक्ता श्री दवे ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थी मनीष कुमार द्वारा पूर्व में प्रश्नगत पट्टे के संबंध में अतिक्रमण भूमि पर पट्टा जारी करने बाबत राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत संख्या 0415294404710 दर्ज करवाई थी। जिसकी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा जांच की जाकर अप्रार्थी महेन्द्र कुमार के पक्ष में जारी उक्त पट्टा संख्या 55 दिनांक 20.10.2014 को निरस्त कराने हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय, सिरोही में पंचायत निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया था जो पंचायत निगरानी संख्या 65/2015 पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.9.2016 के द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था। इस प्रकार, उक्त पट्टा संख्या 55 दिनांक 20.10.2014 की विषय वस्तु के संबंध में गुणावगुण पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय हो गया है। जब सक्षम न्यायालय द्वारा पट्टा संख्या 55 दिनांक 20.10.2014 की विषय वस्तु के संबंध में एक बार निर्णय हो चुका है, तो उसी पट्टा संख्या 55 दिनिांक 20.10.2014 के विरुद्ध पुन: निगरानी प्रस्तुत नही की जा सकती है। धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार ''पूर्व न्याय के सिद्धान्त'' से प्रार्थी बाधित है, इसलिये प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे। जबकि प्रार्थी मनीष कुमार के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थी मनीष कुमार ने अप्रार्थी महेन्द्र कुमार को अतिक्रमण भूमि का पट्टा जारी करने के विरुद्ध राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत संख्या 0415294404710 अवश्य दर्ज कराई गई थी जिसकी जांच विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा की गई और अप्रार्थी महेन्द्र कुमार को अतिक्रमी माना व अप्रार्थी महेन्द्र कुमार के पक्ष में पट्टा संख्या 55 को नियम विरुद्ध जारी करने की पुष्टि हुई थी। जिस पर उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 55 को निरस्त कराने की कार्यवाही के आदेश हुये। यदि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा इस न्यायालय में पंचायत निगरानी संख्या 65/2015 प्रस्तुत की गई हो तो उक्त निगरानी की प्रार्थी को जानकारी नही है और न ही उक्त निगरानी में प्रार्थी को पक्षकार बनाया गया था। प्रार्थी उक्त निगरानी में पक्षकार नही होने के कारण प्रार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर सका है। धारा 11 सी.पी.सी. के तहत पूर्व का न्याय का सिद्धान्त उसी परिस्थिति में लागू होता है, जब पक्षकार एवं विषय वस्तु एक ही हो। उक्त निगरानी प्रकरण में प्रार्थी पक्षकार नही था, इसलिये पूर्व न्याय का सिद्धान्त इस प्रकरण में लागू नही होता है। प्रार्थी ने यह निगरानी सही एवं वास्तविक तथ्यों के

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

आधार पर प्रस्तुत की है, जिनके संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्णय नही हुआ है, इसलिये अप्रार्थी महेन्द्र की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाकर पट्टा संख्या 55 दिनांक 20.10.2014 को निरस्त किया जावे।

(4) दानों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि प्रार्थी श्री मनीष कुमार पुत्र भूताजी घांची, निवासी- गुलाबगंज ने श्री महेन्द्र कुमार सोनी को ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा अतिक्रमण भूमि का पट्टा जारी करने बाबत राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत संख्या 0415294404710 दर्ज करवाई थी, जिसकी जांच विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा की गई। उक्त शिकायत की जांच के बाद विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर ने ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत पुराने आवासीय गृह का विनियमितिकरण करते हुए अप्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार पुत्र धुडा जी सोनी, निवासी- गुलाबगंज के पक्ष में क्षेत्रफल 1384.87 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 55 दिनांक 20.10.2014 को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अर्न्तगत ग्राम पंचायत, गुलाबगंज व श्री महेन्द्र कुमार पुत्र धुडा जी सोनी, निवासी- गुलाबगंज के विरुद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जो इस न्यायालय में पंचायत निगरानी संख्या 65/2015 पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.9.2016 के अनुसार विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है।

तत्पश्चात् प्रार्थी श्री मनीष कुमार पुत्र भूताजी घांची, निवासी- गुलाबगंज द्वारा श्री महेन्द्र कुमार पुत्र धुडाजी सोनी, निवासी- गुलाबगंज को ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा जारी उक्त पट्टा संख्या 55 दिनांक 20.10.2014 को निरस्त कराने हेतु पुनः यह निगरानी प्रार्थना पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

चूंकि इस न्यायालय द्वारा उक्त पट्टा संख्या 55 दिनांक 20.10.2014 के विषय वस्तु पर गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 65/2015 में दिनांक 09.9.2016 को निर्णय हो चुका है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अनुसार ''पूर्व न्याय का सिद्धान्त'' (Resjudicata) की श्रेणी में आता है।

अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

12.04.18

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही